

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1
संख्या—6168—8—1—206—53विविध /—06
लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2006

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में निजी पैँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति के क्रियान्वयन तथा निजी विकासकर्ताओं के पंजीयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या—5873/8—1—2005—34विविध /03,टीसी—1 दिनांक 12—1—2006 द्वारा समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त समिति निजी पैँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड एसेम्बली एवं विकास नीति (इन्टीग्रेटेड पालिसी) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले डी०पी०आर० के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही भी करेगी।

के.एल. मीना

सचिव

संख्या – (1)/8—1—06 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 2— आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
- 3— मुख्य अभियंता, समस्त विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
- 4— वित्त नियंत्रक, समस्त विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
- 5— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6— संबंधित विकास प्राधिकरण/परिषद के मुख्य नगर नियोजक/प्रभारी नियोजक/मुख्य वास्तुविद।
- 7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी
अनुसचिव